निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण 1938 (श0)

(सं0 पटना 1014) पटना, मंगलवार, 29 नवम्बर 2016

सं0 08/आरोप–01–82/2015,सा०प्र०–14103
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
17 अक्तूबर 2016

श्री तुलसी हजरा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–551/04, 399/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी, गया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक–398, दिनांक 11.03.2003 एवं जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–5849, दिनांक 16.12.2003 द्वारा विभिन्न योजनाओं में अनियमित रूप से प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं सरकारी राशि का दुरुपयोग करने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

2. सम्यक् विचारोपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 (2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3941, दिनांक 05.05.2009 द्वारा श्री हजरा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री हजरा के सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.07.2009) के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9445, दिनांक 18.09.09 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी यथा विभागीय जाँच आयुक्त, पटना के पत्रांक–388 (अनु०), दिनांक 31.07.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक–11665, दिनांक 11.08.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षो पर श्री हजरा से लिखित अभिकथन की माँग की गयी। इस क्रम में श्री हजरा का स्पष्टीकरण (दिनांक 29.11.2015) प्राप्त हुआ।

4. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री हजरा के स्पष्टीकरण की समीक्षा में यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी के पद पर पदस्थापित रहते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य किये। इस क्रम में उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी के वित्तीय शक्तियों का उपयोग भी किया। उन्होंने सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित राशि की अधिसीमा से ज्यादा राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मनमाने ढंग से दी। पंचायत समिति से योजनाओं को पारित कराने की अनिवार्यता का भी ध्यान नहीं रखा। कई योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व भी अग्रिम की स्वीकृति दे दी गयी। योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति का कोई लेखा–जोखा अनुमंडल के स्तर पर संधारित नहीं किया गया, जिससे कई योजनाऐं अधूरी रह गयी तथा कई योजनाओं में सरकार पर वित्तीय देनदारी आ गयी। तत्समय उपर्युक्त अनियमितता पर माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका (सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०–16294/04) भी दायर हुआ था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2004 को आदेश पारित करते हुए दोषी कर्मियों के विरुद्ध

कार्रवाई करने का निदेश भी दिया गया। अनियमितता के आरोपों के लिए श्री हजरा पर भी अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ हुई। इस आधार पर श्री हजरा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

सम्यक् विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत श्री हजरा के पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) कटौती स्थायी रूप से करने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक–8082, दिनांक 06.06.2016 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार के विनिश्चित निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–1835, दिनांक 20.09.2016 द्वारा पेंशन कटौती के प्रस्ताव में आयोग की सहमति संसूचित की गयी।

5. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत श्री तुलसी हजरा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–551/04, 399/08 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती का निर्णय लिया जाता है :–

(क) पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) कटौती स्थायी रूप से।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1014–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in